TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii), DATED THE 28th JUNE, 1973.

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)

New Delhi, the 28th June, 1973.

NOTIFICATION

S.O. 358(E).- In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.R.O. 4095, dated the 17th December, 1957 and S.O. 3113, dated the 19th August, 1972, the President hereby directs that the Administrators of the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Delhi, Goa, Daman and Diu, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, Mizoram and Pondicherry (whether known as Lieutenant Governor, Chief Commissioner or Administrator) shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the Central Government under the Explanation to section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881) within their respective Union territories.

[No.U-11030/2/73-UTL]

(M.K. Nair)
Joint Secretary to the Government of India.

To

The General Manager,
Government of India Press,
Main Wing,
NEW DELHI.

P.T.O.

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (II),
तारीख 28 जून, 1973, में प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 1973 ।

अधिसूचना

का0आ0 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0 नि0आ0 4095, तारीख 17 दिसम्बर, 1957 और का0आ0 3113, तारीख 19 अगस्त, 1972 को अधिक्रांत करते हुए, निदिष्ट करते है कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दिल्ली, गोवा, दमण और दीव, लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह, मिजोरम और पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक भी (उन्हें उप राज्यपाल, मुख्यायुक्त या प्रशासक जो भी कहा जाता हो), राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और आगे आदेश होने तक, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन अपने अपने संघ राज्य-क्षेत्रों के भीतर केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

(सं0 यू - 11030/2/73-यू टी एल)

(एम0 के0 नायर)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय
मुख्य पक्ष, नई दिल्ली ।